फर्द अहकाम

नाम न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी, जयपुर (द्वितीय) वनाम वीरेन्द्र सिंह राजकुमारी

केस संख्या 119/2020 दावा

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	23/4/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली अनुसार दिनांक 29/4/24 को पेश हो।	
	29/4/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली अनुसार दिनांक 1/7/24 को पेश हो।	
	1/7/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली अनुसार दिनांक 20/8/24 को पेश हो।	
	20/8/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली अनुसार दिनांक 27/8/24 को पेश हो।	
	27/8/24	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उप0 नहीं। वक्त अदालत वादी व उनके अधि0 को बार-बार आवाज लगवाई गई। वादी व उनके अधिवक्ता [illegible] कोई भी उपस्थित [illegible] बाद अदम पैरवी [illegible] खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो, पर नस्ल के बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 13:40:09 IST
Reason: SelfAttested